रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 509] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 8, 1982/ कार्तिक 17, 1904
No. 509] NEW DELHI, MONDAY, NOV. 8, 1982/KARTIKA 17, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 1982

का० आ० 786(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी (केन्द्रीय सरकार को) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 के नियम 5क के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेश में भारतीय मिशनों/राजदूतावासों में कौंसलर अधिकारी को, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 108की उपधारा (1क) के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

[फा० सं० 8/5/82-सी एल वी]
पी० के० मलिक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 1982

S. O. 786 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 5A of the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956, the Central Government hereby appoints the Consular Officer in the Indian Missions Embassies abroad as prescribed authority for the purposes of clause (a) of sub-section (1A) of section 108 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

[File No. 5/5/82-C. L. V.]
P. K. MALLIK, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982